चाकू व अवैध लकड़ी संग एक गिरफ्तार

धरपकड़

श्रावस्ती, संवाददाता। सिरसिया क्षेत्र के जंगलों में प्रतिबंधित पेड़ो की कटान रुकने का नाम नहीं ले रही। इसका खुलासा करते हुए सिरसिया पुलिस ने चिरान के 20 नग साखू व सागौन की लकड़ी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से अवैध चाकू भी बरामद हुआ।

सिरसिया क्षेत्र में लकड़ी माफिया पूर्वी व पश्चिमी सोहेलवा के साथ ही भिनगा जंगल से प्रतिबंधित साखू, सागौन आदि के पेड़ काट रहे है। बाद में उसका चिरान कर बेंच देते हैं। इसकी शिकायत पर सोमवार सुबह सिरसिया थानाध्यक्ष शैलकांत उपाध्याय ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर गुलरा फटवा की तरफ भिनगा जंगल से आते हुए गुलरा कोठी निवासी मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद समून को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से पुलिस ने एक चाकू बरामद किया। पूछताछ में उसके बताए स्थान से पांच नग सागौन और 15 नग साखू की लकड़ी बरामद कर जब्त कर लिया। आरोपी के विरुद्ध सिरसिया थाने में आर्म्स एक्ट व भारतीय वन अधिनियम में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया।

पुलिस की गिरफ्त में पकड़ा गया आरोपी

- जंगलों में प्रतिबंधित पेड़ो की कटान रुकने का नाम नहीं ले रही
- पुलिस ने 20 नग साखू व सागौन की लकड़ी संग युवक को दबोचा

भरुही बंदूक संग एक बंदी

श्रावस्ती। एसपी राहुल भाटी के निर्देशन में पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चला रही है। इसी के क्रम में रविवार रात अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व तस्करी की रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष सिरसिया शैलकांत उपाध्याय पुलिस टीम के साथ अपराधियों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर गुलरा फटवा निवासी साबिर पुत्र मोहम्मद गनी को एक भरुही बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया। जिसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया।

दबोचे गए गोवध के चार आरोपित, घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद

संसू, जागरण • श्रावस्ती : सिरसिया पुलिस टीम ने सोमवार को गोवध के चार आरोपितों को बलनपुर बसंतपुर गांव में डंप लकड़ी के पास से दबोच लिया है। आरोपितों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त उपकरण व अवैध बंदूक बरामद की गई है।

एसपी राहुल भाटी ने बताया कि 10 फरवरी को ग्राम पंचायत बलनपुर बसंतपुर के संतलिया गांव निवासी मनीराम ने सिरसिया थाने में तहरीर देकर बताया था कि आठ फरवरी की रात में अज्ञात लोगों ने उनकी बछिया को गांव के बाहर ले जाकर हत्या कर दी है। इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना में तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर सिरसिया क्षेत्र के सचौली निवासी सुल्तान उर्फ मुजफ्फर, बलनपुर बसंतपुर के बहाल अंसारी, गेहुंआ भारी के वीरपुर निवासी आरिफ व लक्ष्मनपुर मजगवां के काजीपुरवा निवासी इरफान का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। सोमवार को सूचना पर पुलिस ने बलनपुर बसंतपुर गांव में एकत्र की गई लकड़ी के पास से घेराबंदी कर चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो चाकू, दो गडासा, एक लकड़ी का ठीहा, दो टार्च, दो बाइक, एक अवैध बंदूक बरामद की गई है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा की बढ़ोतरी की गई है। आरोपित को न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। गिरफ्तारी टीम में उपनिरीक्षक विशाल शुक्ला, राजकिशोर गुप्ता, मुख्य आरक्षी विनीत सिंह आदि शामिल रहे।